



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

पांग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

मं. 654]	नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 2008/अग्रहायण 24, 1930
No. 654]	NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 2008/AGRAHAYANA 24, 1930

पांत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग नियन्त्रण
(पांत परिवहन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2008

मामूल नि. 858(अ).—भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण-अधिनियम, 1985 (1985 के अधिनियम सं ६२) की धारा 34 द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके, केन्द्रीय सरकार, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण-नियम, 1986 में एतद्वारा, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

1. इन नियमों का नाम भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2008 है;
 2. ये नियम, स्वरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण-नियम, 1986 में, नियम 25 में “पच्चीस करोड़ रुपए” शब्दों को “पचास करोड़ रुपए से कम” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. मं. एल-11020/1/2006-आई डब्ल्यूटी]

ए. सी. ओझा, अवर सचिव

टिप्पणी :- (1) उपर्युक्त मूल नियम, दिनांक 10 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना सा० का० नि० सं० 1275 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए।

- (i) दिनांक 22 मई, 1992 की अधिसूचना सा० का० नि० सं० 551 (अ)
- (ii) दिनांक 31 जुलाई, 2000 की अधिसूचना सा० का० नि० सं० 311 (अ)
- (iii) दिनांक 12 दिसम्बर, 2000 की अधिसूचना सा० का० नि० सं० 514 (अ)
- (iv) दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 की अधिसूचना सा० का० नि० सं० 449 (अ)
- (v) दिनांक 21 फरवरी, 2007 की अधिसूचना सा० का० नि० सं० 31 (अ)